

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-305/112-1 दिनांक, चकराता 16 अप्रैल 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय:- जनपद-देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत सिलखड्ड-कुनैन मोटर मार्ग के किमी0 5 से सैंज मोटर मार्ग निर्माण (लं0-6.125 किमी0) हेतु 5.3478 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ :-

1-FP/UK/Road/8881/2014

2-आपका पत्रांक-1872/12-1 दि0 16.03.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या निम्नानुसार है -

- 1- प्रस्ताव में भाग-2 प्रपत्र में पूर्ण सूचना अंकित कर दी गई है।
- 2- प्रस्ताव में अंग्रेजी में स्थलीय निरीक्षण चस्पा कर दिया गया है।
- 3- संयुक्त निरीक्षण में त्रुटियों को सही कर दिया गया है। बाधित वृक्षों की सूचना विधिक स्थिति के अनुसार पृथक-पृथक दी गई है। ट्रांसप्लान्ट में होने वाले व्यय से सम्बन्धित याचक विभाग का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में चस्पा है।
- 3- ईको-क्लास का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण आख्या बिन्दुवार सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 दिवाकर सिन्हा)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या 305/112-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, हरिद्वार, मुख्यालय-कालसी को उनके पत्रांक-802/22-सी दि0 10.04.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 दिवाकर सिन्हा)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

प्रस्तावित योजना का नाम- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिलखड़ कुनैन मोटर मार्ग के कि०मी०- 5 से सैज मोटर मार्ग (6.125 कि०मी०) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों

का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में तहसील त्यूनी के अन्तर्गत सिलखड़ कुनैन मोटर मार्ग के कि०मी०- 5 से सैज मोटर मार्ग (6.125 कि०मी०) के निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित/सिविल नियम वन भूमि के दोनों तरफ सीमांकन पिलर/ सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा ।

सीमांकन प्रांकलन

कार्य मद विवरण	लम्बाई (कि०मी०)	दर प्रति (कि०मी०) में	धनराशि रुपये में
वन भूमि के दोनों तरफ 60X60X60 के 1: 2: 4 सीमेन्ट प्लास्टर व दो कोट सफेदी के सीमांकन पिलर का निर्माण कार्य ।	6.125	11640.00	71,295.00
		योग	71,295.00

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
हरिद्वार(मुख्यालय-कालसी)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
हरिद्वार(मुख्यालय-कालसी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
हरिद्वार(मुख्यालय-कालसी)

प्रमाणित वनविभाग
चक्रवर्ती वन प्रभाग
चक्रवर्ती देहरादून

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिलखड़ कुनैन मार्ग के कि०मी०-5 से सैंज मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।

बांज वृक्षों के 7.00 मीटर चौड़ाई में पातन का प्रमाण-पत्र
(सिविल भूमि एवं आरक्षित भूमि में वृक्षों की संख्या)

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज के वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
		0-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	बांज हरा खड़ा	39 ✓	21 ✓	14 ✓	05 ✓	04 ✓	04 ✓	02 ✓	—	—	89 ✓
	योग-	39	21	14	05	04	04	02	—	—	89

अनुसूचितानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


प्रमाणित वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
चक्रवर्ती देहरादून

वन संरक्षक,

निरीक्षण टिप्पणी

दि० 25.01.2015 को पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत
ब्रड-कुनैन मोटर मार्ग के निरीक्षण में कनासर रेंज के कुनैन कक्ष सं०-7 व 8 में
वन क्षेत्र में निर्मित मोटर मार्ग में पडने वाले बांज वृक्ष व्यासवार 0-20 में 22
20-30 में 14 वृक्ष, 30-40 में 07 वृक्ष, 40-50 में 03 वृक्ष, 50-60 में 04 वृक्ष,
60-70 में 04 वृक्ष एवं 70-80 में 02 वृक्ष कुल 56 वृक्ष तथा सिविल भूमि में बांज वृक्ष
व्यासवार 0-20 में 17 वृक्ष, 20-30 में 07 वृक्ष, 30-40 में 07 वृक्ष एवं 40-50 में 02 वृक्ष
कुल 33 वृक्ष (56+33=89 वृक्ष) प्रभावित हो रहे हैं। अन्य विकल्प न होने के कारण
उक्त में उक्त मोटर मार्ग संस्तुति की जाती है।



प्रभासीय न्यायिकरी
सकलता का प्रमाण
करप्रा देहरादून